

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 223/2015 सत्रवाद
संस्थापित दिनांक 10-07-2015

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

जानकीप्रसाद पुत्र किशोरीलाल उम्र 31 वर्ष,
निवासी - नूरगंज वार्ड क्रमांक 5 गोहद जिला
भिण्ड म.प्र.

-----अभियुक्त

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री केशवसिंह
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0कं0. 92/2015 इ0फौ0
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क्र0 223/2015

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्त द्वारा श्री के0पी0राठौर अधिवक्ता।

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 28-07-2016 को घोषित किया गया//

01. आरोपी जानकी प्रसाद का विचारण धारा 363, 366(क), 376(2)(आई)(जे) भा0दं0वि0 एवं धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत किया जा रहा है। उस पर आरोप है कि दिनांक 26.01.2015 को सुबह नो बजे वाद कभी भी स्थान नूरगंज वार्ड नम्बर 5 गोहद थाना क्षेत्र में अभियोगी मुरली गोले की नावालिग पुत्री जो कि 18 वर्ष से कम उम्र की थी को उसकी विधि पूर्ण संरक्षक के बिना उसकी सम्मति के ले गए/बहलाकर ले गए। उस पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक या उसके करीब अभियोगी की उक्त नावालिग लडकी को अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या बिलुब्ध करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि उसे इस हेतु विवश या बिलुब्ध करने के आशय

से उसका व्यपहर/अपहरण किया एवं उक्त नाबालिग स्त्री जो कि 16 वर्ष से कम उम्र की है और सहमति देने में सक्षम नहीं है के साथ बलात्संग किया तथा उसके साथ गुरुत्तर लैंगिक प्रवेशन हमला कारित किया।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 26.01.2015 को वार्ड क्रमांक 5 नूरगंज गोहद के निवासी मुरली के द्वारा सूचना दी कि वह सब्जी बैचने का काम करता है। उसकी लड़की, पीडिता उम्र 14 वर्ष कन्या विद्यालय गोहद में कक्षा 9वीं में पढ़ती है। वह सुबह 9 बजे 26 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल होने उसके सामने स्कूल चली गई थी और वह अपना ढेला लगाने चला गया था। शाम साढ़े चार बजे उसके मोबाइल नम्बर 9165377094 पर मो.न. 8517064074 से फोन आया जिस पर उसकी लड़की/पीडिता ने बताया कि पापा उसे बचा लेना वह ग्वालियर से बोल रही है, तब उसने पूछा कि वहाँ कैसे पहुँची तो फोन कट गया। इसके बाद उसके साले अजमेर का ग्वालियर से उसके पास फोन आया और बताया कि पीडिता कहॉ है उसका मोबाइल नम्बर 8517064074 से फोन आया था कह रही थी कि मामा उसे पापा से बचा लेना, वह किसी के संग आ गई है, पापा उसे मारेगें। तब उसके द्वारा पूछे जाने पर कि किस के साथ आई तो उसने नाम नहीं बताया बोली जाटव समाज का लड़का है और कहा कि वह 4-5 दिन में बापस लौट आएगी। उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद में अज्ञात में अप0क्रं0 20/15 धारा 363, 366ए भा0दं0वि0 का पंजीबद्ध किया गया।

03. प्रकरण विवेचना में लिया गया। घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया एवं साक्षीगण मुरली गोले एवं अरविंदसिंह के कथन लेखबद्ध किए गए। दिनांक 27.01.15 को अपहृता को दस्तयाव किया गया, अपहृता के मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सी.आर.पी.सी के कथन लेखबद्ध कराये गए तथा उसका मेडीकल परीक्षण कराया जाकर उसके 161 सी.आर. पी.सी के कथन लेखबद्ध किये गए, जिस पर से उसके द्वारा बताए जाने पर धारा 376 भा0दं0वि0 का इजाफा किया गया। अपहृता को उसके पिता की सुपुर्दगी में दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसका भी मेडीकल परीक्षण कराया गया। अस्पताल गोहद से प्राप्त अपहृता एवं आरोपी के कपड़ों की पोटली की जप्ती की गई जिसमें अपहृता के सलवार, स्लाइड व स्वाव, प्यूबिक हेयर व शील नमूना व आरोपी की सीमन स्लाइड व चड्डी, प्यूबिक हेयर व शील नमूना जप्त किए गए। जप्तशुदा कपड़ों को राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोग शाला परीक्षण हेतु भेजा गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट उपरांत माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. आरोपी जानकीप्रसाद के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 363, 366(क), 376(2)(आई) (जे) भा0दं0वि0 एवं धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।
05. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है।
06. आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-
1. क्या अपहृता/पीडिता घटना दिनांक 26.01.2015 को 18 वर्ष से कम उम्र की होकर नावालिंग थी?
 2. क्या आरोपी के द्वारा दिनांक 26.01.2015 को सुबह नौ बजे या उसके करीब गोहद थाना क्षेत्र से उसके पिता की विधि पूर्ण संरक्षकता से उसकी सहमति के बिना ले गए/बहलाकर ले गए?
 3. क्या आरोपी के द्वारा उपरोक्त दिनांक या उसके करीब अपहृता जो कि नावालिंग है को अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या बिलुब्ध करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि उसे इस हेतु विवश या बिलुब्ध करेगा उसका व्यपहर/अपहरण किया?
 4. क्या आरोपी के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय या उसके करीब नावालिंग स्त्री जो कि 16 साल से कम उम्र की होकर एवं सहमति देने में सक्षम नहीं है के साथ बलात्संग किया?
 5. क्या आरोपी के द्वारा उक्त दिनांक समय या उसके करीब नावालिंग स्त्री के साथ गुरुत्तर लैंगिक प्रवेशन हमला कारित किया?

-: सकारण निष्कर्ष:-

बिन्दु क्रमांक 1 :-

07. पीडिता की उम्र के संबंध में अभियोजन साक्षी मुरली अ0सा0 2 जो कि पीडिता का पिता है के द्वारा घटना के समय उसकी पुत्री की उम्र 14-15 साल की होनी

बताई है। इस बिन्दु पर पीडिता अ0सा0 1 के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में घटना के समय उसकी उम्र 15-16 वर्ष की होनी और उस समय कक्षा 9वी की छात्रा होना बताया है। यह उल्लेखनीय है कि पीडिता की उम्र के संबंध में उसके पिता मुरली अ0सा0 2 का कोई भी प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। इस प्रकार उनके द्वारा इस बिन्दु पर किया गया कथन अखण्डनीय रहा है। पीडिता के द्वारा भी स्पष्ट रूप से घटना के समय उसकी उम्र 15-16 साल की होनी बताई है जो कि उसके द्वारा भी इस संबंध में किया गया कथन अखण्डनीय रहा है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि घटना के पश्चात् घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि पीडिता के पिता मुरली अ0सा0 2 के द्वारा दर्ज कराई गई है उसमें भी पीडिता की उम्र 14 साल होने का उल्लेख है।

08. अभियोजन के द्वारा पीडिता की उम्र के संबंध में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोहद के वरिष्ठ अध्यापक धर्मेन्द्र भारद्वाज अ0सा0 4 के कथन भी कराए हैं जिनके द्वारा पीडिता के जन्म तिथि के संबंध में विद्यालय के अभिलेख के आधार पर उसकी जन्मतिथि दिनांक 12.05.2000 होना बताई है, जो कि पीडिता के उनके विद्यालय के भर्ती रजिस्टर में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर उनके द्वारा पीडिता की जन्मतिथि बताई गई है जो कि मूल भर्ती रजिस्टर प्र.पी. 9 और उसकी फोटोप्रति प्र.पी. 9सी है। उक्त साक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षण में भी स्पष्ट बताया गया है कि विद्यालय में रिकार्ड के आधार पर पीडिता की उम्र 12.05.2000 अंकित है। उक्त साक्षी का कथन भी प्रतिपरीक्षण उपरांत किसी प्रकार से प्रतिखण्डित नहीं होता है।

09. आयु के अवधारण के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाली अपेक्षित साक्ष्य का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में आयु के विषय में उपधारणा और उसके अवधारण बावत् धारा 94 किशोर न्याय (बालकों के देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015) की धारा 94(2) में दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कि उम्र के अवधारण के संबंध में— (1) विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मेट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र यदि उपलब्ध हो। (2) और उसके अभाव में निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र। (3) उपरोक्त फस्ट और सेकण्ड के अभाव में आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर किए गए अस्थि जाँच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जाँच के आधार पर किया जाएगा।

10. इस प्रकार उक्त अधिनियम के अंतर्गत जो कि नावालिग की उम्र के निर्धारण हेतु दिए गए दिशा निर्देश के रूप में है के अनुसार विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र इस संबंध में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। पीडिता के जन्म के संबंध में संबंधित वरिष्ठ अध्यापक

के द्वारा प्रमाणित किया गया है जो कि किसी प्रकार से प्रतिखण्डित नहीं है। इस बिन्दु पर पीडिता के पिता एवं स्वयं पीडिता का अखण्डनीय न्यायालयीन कथन भी उक्त तथ्य की सम्पुष्टि करते हैं। ऐसी दशा में घटना जो कि दिनांक 26.01.2015 की होनी बताई गई है उस समय पीडिता की उम्र 14 साल 08 माह 14 दिन की होनी पाई जाती है जो कि घटना के समय नावालिग होना प्रमाणित होती है।

बिन्दु क्रमांक 2 लगायत 5:-

11. घटना के फरियादी मुरली अ0सा0 2 जो कि पीडिता का पिता है के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि उसकी लडकी घटना दिनांक को कन्या पाठशाला गोहद में कक्षा 9वीं में पढ़ती थी, वह स्कूल गई थी और वह सब्जी का ढेला लेकर चला गाय था। शाम को घर आया तो घरवालों ने बताया कि लडकी अभी स्कूल से नहीं आई है। उसने लडकी की तलाश की, किन्तु लडकी ढूंढने पर भी नहीं मिली। बाद में लडकी ने ग्वालियर से फोन किया कि वह ग्वालियर में है। उसने दूसरे दिन सुबह पुलिस थाना गोहद में रिपोर्ट की थी, रिपोर्ट प्र.पी. 5 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका बनाया था जो प्र.पी. 6 है। साक्षी ने यह भी बताया है कि लडकी का मामा लडकी को गोहद लेकर आया था तथा पुलिस ने लडकी के दस्तयाब होने पर दस्तयावी पंचनामा बनाया था जो प्र.पी. 1 है और लडकी उसे सुपुर्दगी में दी गई थी जो प्र.पी. 2 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। लडकी की डॉक्टरी कराने के लिए गया था।

12. इस प्रकार उक्त साक्षी के कथनों में यद्यपि उसकी लडकी के जो कि नावालिग है घटना दिनांक को घर से चले जाने और उसका पता न चलने के संबंध में तथ्य आया है, किन्तु साक्षी के कथन में कहीं भी आरोपी के घटना में संलग्न होने के संबंध में कोई भी बात अपने साक्ष्य कथन में नहीं बताई है और न ही किसी प्रकार की शंका आरोपी पर होना बताया है। इस बिन्दु पर उसे पक्षद्रोही भी घोषित किया गया है, किन्तु इस दौरान भी उसने आरोपी को किसी शंका होने के तथ्य से इन्कार किया है। पीडिता के द्वारा दस्तयाव होने के पश्चात् उसके द्वारा अपने पिता को आरोपी के द्वारा उसे ले जाने अथवा उसके साथ कोई घटना कारित किए जाने की बात बताई गई हो, इस आशय का कोई भी तथ्य साक्षी के पुलिस कथन में नहीं आया है। आरोपी के द्वारा पीडिता को ले जाने अथवा उसके साथ बुरा काम करने की बात को उसकी लडकी के द्वारा उसे बताए जाने से साक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षण में साफतौर से इन्कार किया है।

13. उपरोक्त संबंध में अभियोक्त्री अ0सा0 1 के कथन का जहाँ तक प्रश्न है, अभियोक्त्री के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में अभियोजन प्रकरण जिस प्रकार से बताया गया है उस प्रकार से उसका कोई समर्थन न करते हुए नई कहानी बताई जा रही है जिसमें कि अपने मामा अजमेर जो कि दीनदयाल नगर ग्वालियर में रहते हैं उनके यहाँ घूमने के लिए जाना बताया है और वह यह भी बताई है कि अपने माता पिता को बताए बिना मामा के यहाँ चली गई थी, इस कारण उसके माता पिता ने रिपोर्ट कर दी थी। दूसरे दिन सुबह उसके मामा दीनदयाल नगर से उसे बापस गोहद ले आए थे, तब पुलिस ने दस्तयावी पंचनामा प्र.पी. 1 और सुपुर्दगी पंचनामा प्र.पी. 2 बनाया था। उसे डॉक्टर के पास परीक्षण हेतु ले जाया गया था और मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन देने भी वह आई थी तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका कथन हुआ था। उक्त अभियोक्त्री को अभियोजन प्रकरण का समर्थन न करने के कारण अभियोजन के द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी उसके कथनों में कहीं भी अभियोजन प्रकरण को समर्थन या पुष्ट करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है।

14. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी अजमेरसिंह अ0सा0 3 जो कि पीडिता का मामा है और दीनदयाल नगर ग्वालियर में रहता है। उक्त साक्षी के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया है कि उसने अपने बहनोई मुरली को फोन लगाया था कि लडकी किसी लडके के साथ है थाने में जाकर रिपोर्ट कर दो तब उसके बहनोई ने रिपोर्ट कर दी थी। सुबह उनकी भान्जी उनके घर पर आई थी तब उसने अभियोक्त्री से पूछा कि कौन ले गया तो उसने बताया था कि एक लडका ले गया था। फिर लडकी को वह साथ लेकर गोहद आया था। पुलिस ने दस्तयावी पंचनामा प्र.पी. 1 बनाया था।

15. उक्त साक्षी जिसने कि अपने धारा 161 जा.फौ. के कथनों में अभियोक्त्री के द्वारा उसे आरोपी के द्वारा भगाकर ले जाने के बारे में बताया गया है, किन्तु न्यायालय में हुए कथन में आरोपी के नाम आदि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इस परिप्रेक्ष्य में उसे पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान उक्त साक्षी के कथनों में आरोपी के घटना में संलग्न होने के संबंध में कोई तथ्य नहीं आया है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसे अभियोक्त्री ने आरोपी का नाम नहीं बताया है और न ही उसे उसके साथ बुरा काम होने वाली बात बताई थी। इस परिप्रेक्ष्य में साक्षी अजमेरसिंह के कथन के आधार पर भी आरोपी के घटना में संलग्न होने तथा उसके द्वारा घटना कारित किये जाने के संबंध में किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं होती है।

16. साक्षी डॉक्टर विमलेश गौतम अ0सा0 6 जिन्होंने कि पीडिता का चिकित्सीय परीक्षण किया है। उसमें उसका हाइमन इन्टेक्ट होना और उसके शरीर पर कोई भी चोट के निशान न होना बताया है तथा बलात्कार के संबंध में कोई निश्चित अभिमत न दे पाना बताया है। अभियोक्त्री चड्डी नहीं पहने हुए थी इसलिए सलवार को शील्ड कर एवं दो स्वाव की स्लाइड बनाई गई तथा गुप्तांगों के बालों काटकर शील्ड कर परीक्षण हेतु संबंधित महिला आरक्षक को सौंपे गए थे। रिपोर्ट प्र.पी. 11 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार उक्त चिकित्सक के अभिमत के आधार पर भी पीडिता के साथ किसी प्रकार से बलात्कार होने की सम्पुष्टि होनी नहीं पाई जाती है।

17. साक्षी डॉक्टर धीरज गुप्ता अ0सा0 5 जिनके द्वारा कि आरोपी का परीक्षण किया गया है। उसे परीक्षण में संभोग करने में सक्षम होना बताया है। साक्षी के द्वारा आरोपी की चड्डी व गुप्तांगों के बाल एवं एक सीमन स्लाइड शीलबंद कर साथ आए आरक्षक को सौंपे गए थे। उनके द्वारा तैयार मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 10 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के कथन से यद्यपि आरोपी के संभोग करने में सक्षम होने का तथ्य आया है, किन्तु इस आधार पर आरोपी के अपराध में संलग्न होने के संबंध में सम्पुष्टि कारक साक्ष्य होना नहीं कहा जा सकता है।

18. प्रकरण में तत्कालीन थाना प्रभारी थाना गोहद सुनील खेमरिया अ0सा0 9 जिन्होंने कि फरियादी मुरली की रिपोर्ट पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 5 अंतर्गत धारा 363, 366 भा0द0वि0 के तहत पंजीबद्ध करना बताया है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि रिपोर्ट में किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताया था।

19. प्रकरण के विवेचना अधिकारी शिवकुमार शर्मा अ0सा0 10 जिनके द्वारा कि प्रकरण की विवेचना की गई है। विवेचना के दौरान फरियादी की निशादेही पर घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 6 तैयार करना जिसके बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 27.01.15 को अभियोक्त्री दस्तयाव कर दस्तयावी पंचनामा प्र.पी. 1 बनाना एवं उसी दिनांक को अभियोक्त्री के कथन महिला आरक्षक के समक्ष एवं साक्षी अजमेर का कथन उसके बताए अनुसार लेखबद्ध करना बताया है एवं उसी दिनांक को अभियोक्त्री को उसके पिता को सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 2 के अनुसार देना बताया है। दिनांक 28.01.15 को आरोपी जानकीप्रसाद की सीमन स्लाइड, चड्डी व प्यूबिक हैयर शीलबंद पैकेट व पोटली और शील नमूना आरक्षक मोनू माझी के द्वारा पेश करने पर उन्हें जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 13 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी जानकीप्रसाद को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 14 बनाना जिसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है, किन्तु

विवेचना अधिकारी के द्वारा विवेचना में की गई उपरोक्त कार्यवाही के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती।

20. इस प्रकार जबकि घटना के फरियादी मुरली अ0सा0 2 के कथनों में आरोपी को अपराध में किसी प्रकार से संलग्न होने के संबंध में कोई तथ्य नहीं आया है और इसी प्रकार घटना की अभियोक्त्री अ0सा0 1 के कथन से भी कहीं आरोपी के द्वारा उसके साथ किसी प्रकार की घटना कारित किये जाने के संबंध में कोई तथ्य नहीं आया है तथा साक्षी अजमेरसिंह अ0सा0 3 के कथन में भी अभियोजन प्रकरण की कोई सम्पुष्टि नहीं होती है। चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर भी पीडिता के साथ बलात्कार होने की कोई पुष्टि होनी नहीं पाई जाती है।

21. अभियोजन के द्वारा अपने तर्क में आरोपी को घटना में संलग्न होने के संबंध में धारा 164 दं.प्र.सं के कथनों में आरोपी के द्वारा उसे जबरदस्ती ले जाने के संबंध में स्पष्ट रूप से बताया गया है, उनके द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि एफ.एस.एल. से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसमें पीडिता के सलवार आर्टिकल ए, स्वाव बी1, स्लाइड बी2 तथा आरोपी के स्लाइड सी1 और चड्डी सी2 में मानव शुक्राणु होने पाए गए हैं। पीडिता के कपड़े एवं स्लाइड में उक्त मानव शुक्राणु पाये जाना जो कि पीडिता 14 वर्ष की होकर नावालिंग है। इसके अतिरिक्त आरोपी को संभोग करने में सक्षम होना चिकित्सक के द्वारा बताया गया है। उक्त परिस्थितियाँ एवं साक्ष्य इस तथ्य को इंगित करती हैं कि अभियोक्त्री को आरोपी ही ले गया था और आरोपी के द्वारा उसके साथ बलात्कार की घटना की गई है।

22. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। जहाँ तक धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन का प्रश्न है। इस संबंध में **बैजनाथशाह विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार 2010 (6) एस. सी.सी. 736** में यह अभिधारित किया है कि धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत किए गए कथन तात्विक साक्ष्य नहीं होते हैं वह केवल साक्षी के द्वारा किए गए पूर्ववर्ती कथन की तरह हैं और उस कथन करने वाले व्यक्ति के कथनों की पुष्टि या खण्डन करने हेतु उपयोग में लाया जा सकता है, इस प्रकार के कथन के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता। इस परिप्रेक्ष्य में धारा 164 जा.फौ. के कथन के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है।

23. जहाँ तक राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रदर्श सी-1 का प्रश्न है। यद्यपि प्रदर्श सी-1 की रिपोर्ट में पीडिता की सलवार आर्टिकल ए, स्वाव बी-1, स्लाइड बी-2 एवं प्यूविक हेयर बी-3 पर मानव शुक्राणु होने पाए गए हैं के आधार पर जबतक कि

कोई ऐसा विशेषज्ञ अभिमत या डी.एन.ए. टैस्ट रिपोर्ट इस संबंध में नहीं आई है कि उक्त शुक्राणु आरोपी के ही थे, आरोपी को अपराध में संलग्न होने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। मात्र इस आधार पर कि चिकित्सक के द्वारा अपने अभिमत में आरोपी को संभोग करने में सक्षम होना बताया गया है इस आधार पर भी आरोपी के अपराध में संलग्न होने के संबंध में उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

24. इसके अतिरिक्त अपर लोक अभियोजक द्वारा अपने तर्क के दौरान यह व्यक्त किया कि वर्तमान प्रकरण में धारा 376 भा0दं0वि0 एवं इसके अतिरिक्त बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5/6 के तहत भी अभियोग है। उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत यह उपधारणा की जाएगी कि अपराध आरोपी के द्वारा ही किया गया है तथा अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत आरोपी के अपराध करने हेतु मानसिक स्थिति की उपधारणा की जाएगी।

25. लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 29 के संबंध में उपधारणा करने तथा इस संबंध में अधिनियम की धारा 30 आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में उपधारणा किए जाने हेतु प्रारंभिक तौर से तथ्य अभियोजन को दर्शित करना होगा। घटनास्थल पर आरोपी की मौजूदगी एवं उसके द्वारा उसे जबरदस्ती ले जाने के तथ्य को ही अभियोक्त्री तथा अन्य अभियोजन साक्षियों के द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है तथा पीडिता के द्वारा स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया गया है कि आरोपी के द्वारा उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की गई है। ऐसी दशा में धारा 29 तथा धारा 30 के अंतर्गत उपधारणा नहीं की जा सकती।

26. इस प्रकार प्रकरण में आई हुई सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य के आधार पर आरोपी के द्वारा अभियोक्त्री को उसकी विधिपूर्ण संरक्षिता से बिना उसकी सहमति के उसे ले जाया गया अथवा बहला/फुसलाकर ले जाना एवं अभियोक्त्री को अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या बिलुब्ध करने के आशय से उसका व्यपहरण/अपहरण किये जाना तथा अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किये जाने एवं उसके साथ कोई लैंगिक हमला कारित किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

27. तदनुसार आरोपी के विरुद्ध अभियोजन प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना न पाते हुए आरोपी को धारा 363, 366(क), 376(2)(आई)(जे) भा0दं0वि0 एवं धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

28. प्रकरण में जप्तशुदा बताए गए पीडिता की सलबार, आरोपी की चड्डी स्लाइड

व स्वाव व प्यूबिक हेयर अपील अवधि पश्चात् नष्ट किये जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला-भिण्ड म०प्र०

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला-भिण्ड म०प्र०

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)